


धर्मशाला-176215, 02 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

डॉ. रोशन लाल शर्मा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग द्वारा कुलानुशासक के पद से दिये गये त्याग-पत्र एवं तदोपरांत माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के आलोक में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. (18) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार डॉ. सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, जंतु विज्ञान विभाग (जूलॉजी) को आगामी आदेशों अथवा इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) तक कुलानुशासक (Proctor) नियुक्त किया जाता है।

2. कुलानुशासक के इस अतिरिक्त कार्यभार के लिए डॉ. सुनील कुमार को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वेतन-भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
3. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन के अधीन है।
4. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(हेम राज)

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 02.03.2021

पृष्ठांकन सं.: समसंख्या

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. विशेष कार्य अधिकारी (अकादमिक), हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
2. मानद निदेशक, सप्त सिंधु परिसर, हि.प्र.के.वि., देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
3. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
4. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
5. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
6. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता।
7. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष।
8. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक।
9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
10. जनसंपर्क अधिकारी, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
11. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
12. सहायक निदेशक (राजभाषा)-सह-कुलपति, हि.प्र.के.वि. के विशेष कार्य अधिकारी- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
13. संबंधित व्यक्ति।



कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)